

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज०)

मि०नं०

111/2022

तारीख दायरा

12.07.2022

तारीख फैसला

9.12.2023

राष्ट्रीय लोक अदालत केंद्र दीगोद जिला कोटा राज०

उनवान

1- मधु वर्मा उर्फ मूली बाई पुत्री स्व० नाथूलाल जी पत्नी बाबूलाल जाति बैरवा निवासी मोतीकुंआ हाल निवास मकान नं० एमपीबी-34 महावीर नगर प्रथम कोटा, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा

(वादीनी)

बनाम

1- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज०)

(प्रतिवादी)

वादनी की ओर से – श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से – तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

यह कि ग्राम मोतीकुंआ भू अभिलेख निरीक्षक बमोरी तहसील दीगोद में खाता नं० 123 में ख०नं० 239 रकबा 7.15 हेक्टर, खसरा नं० 92 रकबा 1.14 हेक्टर, कुल 2 किता की 8.29 हेक्टर भूमि वादनी एवं अन्य सहखातेदारान के शामिलती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादनी का नाम 8/63 हिस्से पर भूली बाई पुत्री नाथूलाल दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।


यह कि ग्राम मोतीकुंआ भू अभिलेख निरीक्षक बमोरी तहसील दीगोद में खाता नं० 124 में ख०नं० 160 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नं० 192 रकबा 0.03 हेक्टर, ख०नं० 193 रकबा 0.38 हेक्टर, खसरा नं० 196 रकबा 1.31 हेक्टर,, ख०नं० 196 रकबा 1.31 हेक्टर, खसरा नं० 196/929 रकबा 0.01 हेक्टर,, ख०नं० 208 रकबा 1.06 हेक्टर, खसरा नं० 235 रकबा 1.95 हेक्टर,, ख०नं० 451 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं० 472/924 रकबा 0.06 हेक्टर, 534 की 0.56 हेक्टर, 534/921 रकबा 0.21 हेक्टर, ख०नं० 93 की 0.93 हेक्टर कुल 12 किता की 6.81 हेक्टर भूमि वादनी एवं अन्य सहखातेदारान के शामिलती खाते में दर्ज चली आ रही है।


सदस्य

तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)


सदस्य

तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)


अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

जिसमें वादनी का नाम 1/27 हिस्से पर मूली बाई पुत्री नाथूलाल दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि ग्राम ककरावदा भूअभिलेख निरीक्षक बमोरी तहसील दीगोद में खाता नं० 68 में खसरा नम्बर 100 की 0.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 101 की 0.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 104 की 0.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 109 की 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 99 की 0.95 हेक्टर, कुल 5 किता की 3.73 हेक्टर भूमि वादनी एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादनी का नाम 1/24 हिस्से पर मूली बाई पुत्री नाथूलाल दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि ग्राम ककरावदा भूअभिलेख निरीक्षक बमोरी तहसील दीगोद में खाता नं० 69 में खसरा नम्बर 100/223 की 0.96 हेक्टर, खसरा नम्बर 102 की 1.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 103 की 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 105 की 0.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 106 की 0.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 107 की 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 99/222 की 0.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 235 की 1.95 हेक्टर कुल 7 किता की 5.82 हेक्टर भूमि वादनी एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादनी का नाम 1/27 हिस्से पर मूली बाई पुत्री नाथूलाल दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमियां वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि में पूर्व में वादनी के पिता नाथूलाल जी का हिस्सा था उनकी मृत्यु के बाद वादनी व अन्य वारिसान को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई है। राजस्व रिकार्ड में वादनी का बोलता नाम तीन जमाबन्दी में मूल बाई व एक जमाबन्दी में भूली बाई दर्ज कर दिया है जो गलत है जब कि वादनी का नाम मधु वर्मा है।

यह कि वादनी का वास्तविक नाम मधु वर्मा है तथा घर का बोलता नाम मूली बाई है इसी कारण राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादनी का बोलता नाम दर्ज हो गया। वादनी के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आय विभाग का पेन कार्ड, व अन्य दस्तावेजात में वादनी का नाम मधु वर्मा दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम मूली बाई व भूली बाई के स्थान पर मधुवर्मा अथवा मूली बाई उर्फ मधु वर्मा दर्ज किया जाना आवश्यक है।

यह कि इस सम्बन्ध में वादनी ने उसके नाम को दुरुस्त करने हेतु प्रतिवादी से दिनांक 15.06.2022 को निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया ओर मना कर दिया। इस कारण यह वाद वादी के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

यह कि वाद कारण प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादनी का नाम गलत दर्ज करने पर, तथा दिनांक 15.06.2022 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरुस्त नहीं करने पर व दुरुस्त करने से इन्कार करने पर वाद कारण पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादनी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:-


कि ग्राम मोतीकुंआ भू अभिलेख निरीक्षक बमोरी तहसील दीगोद में खाता नं० 123 में ख० नं० 239 रकबा 7.15 हेक्टर, खसरा नं० 92 रकबा 1.14 हेक्टर, कुल 2 किता की 8.29 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम भूली बाई के स्थान पर मधुवर्मा दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।


सदस्य

तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)


सदस्य

तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)


अध्यक्ष

राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

यह कि ग्राम मोतीकुंआ भू अभिलेख निरीक्षक बमोरी तहसील दीगोद में खाता नं० 124 में ख०नं० 160 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नं० 192 रकबा 0.03 हेक्टर, ख०नं० 193 रकबा 0.38 हेक्टर, खसरा नं० 196 रकबा 1.31 हेक्टर,, ख०नं० 196 रकबा 1.31 हेक्टर, खसरा नं० 196/929 रकबा 0.01 हेक्टर,, ख०नं० 208 रकबा 1.06 हेक्टर, खसरा नं० 235 रकबा 1.95 हेक्टर,, ख०नं० 451 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं० 472/924 रकबा 0.06 हेक्टर, 534 की 0.56 हेक्टर, 534/921 रकबा 0.21 हेक्टर, ख०नं० 93 की 0.93 हेक्टर कुल 12 किता की 6.81 हेक्टर भूमि हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम मूली बाई के स्थान पर मधुवर्मा अथवा मूली बाई उर्फ मधु वर्मा दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

यह कि ग्राम ककरावदा भूअभिलेख निरीक्षक बमोरी तहसील दीगोद में खाता नं० 68 में खसरा नम्बर 100 की 0.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 101 की 0.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 104 की 0.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 109 की 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 99 की 0.95 हेक्टर, कुल 5 किता की 3.73 हेक्टर भूमि हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम मूली बाई के स्थान पर मधुवर्मा अथवा मूली बाई उर्फ मधु वर्मा दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।


यह कि ग्राम ककरावदा भूअभिलेख निरीक्षक बमोरी तहसील दीगोद में खाता नं० 69 में खसरा नम्बर 100/223 की 0.96 हेक्टर, खसरा नम्बर 102 की 1.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 103 की 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 105 की 0.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 106 की 0.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 107 की 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 99/222 की 0.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 235 की 1.95 हेक्टर कुल 7 किता की 5.82 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम मूली बाई के स्थान पर मधुवर्मा अथवा मूली बाई उर्फ मधु वर्मा दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादनी की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

- 1- नकल जमाबन्दी सवंत् 2075-2078 ग्राम मोती कुंआ , खाता सं० 123
- 2- नकल जमाबन्दी सवंत् 2075-2078 ग्राम मोती कुंआ , खाता सं० 124
- 3- नकल जमाबन्दी सवंत् 2075-2078 ग्राम ककरावदा , खाता सं० 68
- 4- नकल जमाबन्दी सवंत् 2075-2078 ग्राम ककरावदा , खाता सं० 69
- 3- पहचान पत्र निर्वाचन आयोग
- 4- आधार कार्ड
- 5- पेन कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया जाकर विशेष कथन किया है कि प्रकरण में रिपोर्ट पटवारी अनुसार भूरी बाई , मूली बाई एवं मधु वर्मा एक कही महिला के नाम से भी जानते है तथा भूरी बाई, मूली बाई व मधु वर्मा एक ही महिला के नाम है। अतः भूरी बाई, मूली बाई के स्थान पर मधु वर्मा दर्ज करने की अनुशंषा की है।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)


सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)


अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

प्रश्नगत प्रकरण में जवाब प्रतिवादी सहमति परक होने से प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में साक्ष्य के रूप में स्वम का शपथ प्रस्तुत है। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में रखा गया।

बहस वादनी अधिवक्ता की सुनी गयी। वादनी अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं वादनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधिवक्ता की बहस का गहन अध्ययन व मनन किया गया।

वादनी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं जवाब सरकार से स्पष्ट होता है कि वादनी का नाम भूली बाई व मूली बाई नाम गलत दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन से वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड में भूरी बाई, मूली बाई के स्थान पर मधु वर्मा दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


अतः ग्राम ग्राम मोतीकुंआ भू अभिलेख निरीक्षक बमोरी तहसील दीगोद में खाता नं० 123 में ख०नं० 239 रकबा 7.15 हेक्टर, खसरा नं० 92 रकबा 1.14 हेक्टर, कुल 2 किता की 8.29 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम भूली बाई के स्थान पर मधुवर्मा पुत्री स्व० नाथूलाल


यह कि ग्राम मोतीकुंआ भू अभिलेख निरीक्षक बमोरी तहसील दीगोद में खाता नं० 124 में ख०नं० 160 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नं० 192 रकबा 0.03 हेक्टर, ख०नं० 193 रकबा 0.38 हेक्टर, खसरा नं० 196 रकबा 1.31 हेक्टर, ख०नं० 196 रकबा 1.31 हेक्टर, खसरा नं० 196/929 रकबा 0.01 हेक्टर, ख०नं० 208 रकबा 1.06 हेक्टर, खसरा नं० 235 रकबा 1.95 हेक्टर, ख०नं० 451 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं० 472/924 रकबा 0.06 हेक्टर, 534 की 0.56 हेक्टर, 534/921 रकबा 0.21 हेक्टर, ख०नं० 93 की 0.93 हेक्टर कुल 12 किता की 6.81 हेक्टर भूमि हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम मूली बाई के स्थान पर मधुवर्मा पुत्री स्व० नाथूलाल


कि ग्राम ककरावदा भूअभिलेख निरीक्षक बमोरी तहसील दीगोद में खाता नं० 68 में खसरा नम्बर 100 की 0.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 101 की 0.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 104 की 0.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 109 की 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 99 की 0.95 हेक्टर, कुल 5 किता की 3.73 हेक्टर भूमि हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम मूली बाई के स्थान पर मधुवर्मा अथवा मूली बाई उर्फ मधु वर्मा पुत्री स्व० नाथूलाल

कि ग्राम ककरावदा भूअभिलेख निरीक्षक बमोरी तहसील दीगोद में खाता नं० 69 में खसरा नम्बर 100/223 की 0.96 हेक्टर, खसरा नम्बर 102 की 1.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 103 की 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 105 की 0.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 106 की 0.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 107 की 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 99/222 की 0.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 235 की 1.95 हेक्टर कुल 7 किता की 5.82 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम मूली बाई के स्थान पर मधुवर्मा पुत्री स्व० नाथूलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2023 को लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमे आम में सुनाया गया।


सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)


सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)


अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा